267

संख्या– 592 /VI-2/2014–4(7)2009T.C

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2014

विषय :– जनपद हरिद्वार में एससीएसपी योजना के अन्तर्गत आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–977/एस0सी0एस0पी0पत्रा0/10–11 दिनांक 08.12.14 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में अनु0जाति उप योजना (SCSP) के अन्तर्गत 40 शैय्या के आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु अनुमोदित धनराशि ₹179.40 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 174.32 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 5.08 लाख) के सापेक्ष शासनादेश संख्या–93/VI-2/2014–4(7)2009T.C दिनांक 24.02.14 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवमुक्त धनराशि ₹100.00 लाख (₹ एक करोड मात्र) के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹ 79.40 लाख (₹ उन्यासी लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक पूर्ण कर लिया जाय, ताकि Cost over & run न हो। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से समय–समय पर अवश्य अवगत कराया जाय।

3. कार्यदायी संस्था के साथ हस्ताक्षरित MOU एवं समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। समय–समय पर निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

4. पानी की कमी को दूर करने के लिये विकल्प के रूप में चैकडैम टैक्नीकल फिजीबिलिटी का परीक्षण वन विभाग/सिंचाई विभाग से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेडयूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाय।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

8. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

13. उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत् 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवा सेवा–102–खेलकूद स्टेडियम–03–इंडोर हाल व हास्टल का निर्माण(चालू कार्य)–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 597 /VI-2/2014–4(7)2009T.C तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व ससाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून ।
6. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश, हरिद्वार।
7. जिला खेल अधिकारी हरिद्वार।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।